



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072023-246941
CG-DL-E-01072023-246941

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 382]
No. 382]

नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 1, 2023/आषाढ़ 10, 1945
NEW DELHI, SATURDAY, JULY 1, 2023/ASHADHA 10, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2023

सं. 43/2023-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 473(अ).—जहां कि, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होते हुए कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 2711 12 00 के अंतर्गत आने वाले द्रवीकृत प्रोपेन और 2711 13 00 के अंतर्गत आने वाले द्रवीकृत ब्यूटेन पर लगने वाले आयात शुल्क में वृद्धि की जानी चाहिए और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं कि इसके लिए तत्काल कार्यवाही किए जाने की जरूरत है।

अतः अब, उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8क की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा, निर्देश देती है कि उक्त टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची में निम्नलिखित तरीके से संशोधन किया जाए, अर्थात् :-

उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची में, अध्याय 27 में टैरिफ मदों 2711 12 00 और 2711 13 00 के समक्ष कॉलम (4) में आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "15%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फा. सं. 349/01/2023-टीआरयू]

अम्रीता टाइटस, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2023

No. 43/2023-Customs

G.S.R. 473(E).—WHEREAS, the Central Government on being satisfied that the import duty leviable on Liquified Propane classifiable under CTH 2711 12 00 and Liquified Butane classifiable under CTH 2711 13 00 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), should be increased and that circumstances exist which render it necessary to take immediate action.

NOW, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8A of the said Customs Tariff Act, the Central Government, hereby directs that the First Schedule to the said Customs Tariff Act, shall be amended in the following manner, namely:-

In the First Schedule to the said Customs Tariff Act, in Chapter 27, for the entry in column (4) occurring against tariff items 2711 12 00 and 2711 13 00, the entry “15%” shall be substituted

2. This shall come into force with immediate effect.

[F. No. 349/01/2023-TRU]

AMREETA TITUS, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2023

सं. 44/2023-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 474(अ).—केंद्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक 50/2017 सीमा शुल्क, तारीख 30 जून, 2017 जो संख्यांक सा.का.नि. 785 (अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी, का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,

1. सारणी में, क्रम सं. 153 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“153A.	27111200, 27111300	द्रवीकृत प्रोपेन द्रवीकृत ब्यूटेन	2.5%	-	”.

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फा. सं. 349/01/2023-टीआरयू]

अम्रीता टाइटस, उप सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना 50/2017- सीमा शुल्क, तारीख 30 जून, 2017 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), में सा.का.नि. सं. 785 (अ) तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और

अधिसूचना 41/2023- सीमा शुल्क, तारीख 30 जून, 2023 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), में सा.का.नि. सं. 331 (अ) तारीख 30 जून, 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2023

No. 44/2023-Customs

G.S.R. 474(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (12) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification,-

1. in the Table, after S. No. 153 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"153A	27111200, 27111300	Liquified Propane Liquified Butane	2.5%	-	-".

2. This notification shall come into force with immediate effect.

[F. No. 349/01/2023-TRU]

AMREETA TITUS, Dy. Secy.

Note : The principal notification No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017 and was last amended vide notification No. 41/2023-Customs, dated the 30th June, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 470 (E), dated the 30th June, 2023.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2023

सं. 45/2023-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 475(अ).—वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 124 केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के साथ पठित वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 124 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक 11/2021 सीमा-शुल्क, तारीख 01 फरवरी, 2021 जो संख्यांक सा.का.नि. 69(अ), तारीख 01 फरवरी, 2021 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी, का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

- (i) उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्यांक 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)
“10 एए.	27111200 27111300	द्रवीकृत प्रोपेन द्रवीकृत ब्यूटेन	15%”;

(ii) उक्त अधिसूचना में, सारणी के बाद निम्नलिखित प्रावधानों को शामिल किया जाएगा,-

“बशर्ते कि क्रम संख्या 10एए में निहित कोई भी बात घरेलू या गैर-घरेलू छूट प्राप्त श्रेणी (एनडीईसी) उपभोक्ताओं को आपूर्ति के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड या भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा तरलीकृत प्रोपेन और तरलीकृत ब्यूटेन मिश्रण, तरलीकृत प्रोपेन और तरलीकृत ब्यूटेन के आयात पर लागू नहीं होगी;

बशर्ते कि क्रम संख्या 10 बी में निहित कोई भी बात घरेलू या गैर-घरेलू छूट प्राप्त श्रेणी (एनडीईसी) उपभोक्ताओं को आपूर्ति के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड या भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा तरलीकृत प्रोपेन और तरलीकृत ब्यूटेन मिश्रण, तरलीकृत प्रोपेन और तरलीकृत ब्यूटेन के आयात पर लागू नहीं होगी

[फा.सं. 349/01/2023-टीआरयू]

अम्रीता टाइटस, उप सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, संख्यांक 11/2021-सीमाशुल्क तारीख 1 फरवरी, 2021 संख्यांक सा.का.नि. 69(अ), तारीख 1 फरवरी, 2021 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्यांक 42/2023-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी जो संख्यांक सा.का.नि. 471(अ), तारीख 30 जून, 2023 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2023

No. 45/2023-Customs

G.S.R. 475(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) read with section 124 of the Finance Act, 2021 (13 of 2021), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 11/2021-Customs, dated the 1st February, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 69(E), dated the 1st February, 2021, namely :-

In the said notification,

(i) in the TABLE, after Sl. No. 10, and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
“10AA.	2711 12 00 2711 13 00	Liquified Propane Liquified Butane	15%”.

(ii) After the TABLE the following provisos shall be inserted,-

“Provided that nothing contained in S.No 10AA shall apply to imports of Liquified Propane and Liquified Butane mixture, Liquified Propane and Liquified Butane by the Indian Oil Corporation Limited, Hindustan Petroleum Corporation Limited or Bharat Petroleum Corporation Limited for supply to household domestic consumers or to

Non-Domestic Exempted Category (NDEC) customers;

Provided further that nothing contained in Sl. No 10 B shall apply to imports of Liquified Petroleum Gas by the Indian Oil Corporation Limited, Hindustan Petroleum Corporation Limited or Bharat Petroleum Corporation Limited for supply to household domestic consumers or to Non-Domestic Exempted Category (NDEC) customers;”

[F. No. 349/01/2023-TRU]

AMREETA TITUS, Dy. Secy.

Note : The principal notification No. 11/2021-Customs, dated the 1stFebruary, 2021 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), vide number G.S.R. 69(E), dated the 1stFebruary, 2021 and last amended vide notification No. 42/2023-Customs, dated the 30th June, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), vide number G.S.R. 471 (E), dated the 30th June, 2023.